लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/51/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 07.06.2018

श्री चतरभुज रेगर पिता किशनलाल रेगर निवासी बी–18, हुडको कॉलोनी, निम्बाहेड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 51/2018/(26.06)/635 दिनांक 11.06.2018 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिनांक 26.06.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 26.06.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2018 प्रस्तुत कर आवश्यक कार्य होने से दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित नहीं हो सकने का कथन कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी हेतु निवेदन किये जाने पर अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.07.2018 नियत कर जरिये पत्रांक/प्र.सं./सूचना का अधिकार/51/2018/

(03.07)/674 दिनांक 26.06.2018 रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/सूकाअ/2018/96 दिनांक 26.06.2018 से कमेन्ट्स प्रेषित किये कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन से बिन्दु संख्या 1 व 2 में किसी परिपत्र या कार्यालय पत्र की प्रमाणित प्रति नहीं चाही गई है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पूर्व उपलब्ध दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान हैं। प्रश्नात्मक सूचना का प्रत्युत्तर देने की बाध्यता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3 में दोनों उप चुनाव के लिये राज्य चुनाव आयोग जयपुर या केन्द्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली से दिशा निर्देश प्राप्त किये गये हो तो उसकी छायाप्रति चाही गई है। इस बिन्दु में भी अपीलार्थी द्वारा किस परिपत्र की छायाप्रति चाही गई है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसकी लिखित सूचना अपीलार्थी को नियत समयावधि में उपलब्ध करा दी गई थी। अतः अपील निरर्थक बिन्दुओं पर आधारित होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/सूकाअ/2018/96 दिनांक 26.06.2018 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक/प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है तथा प्रकरण में आज अपना पक्ष रखने हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी को, सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचित किया जा चुका है। जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./51/2018(सू.अ.)/ दिनांकः- / /2018

प्रतिलिपिः-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
2. श्री चतरभुज रेगर पिता किशनलाल रेगर निवासी बी-18, हुडको कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)